राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
फाइल सं0 हरि./202/2018/ए.पी.सी.आर.
सुनवाई तिथिः 10.09.2018 का कार्यवृत्त

श्री विजेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक पानीपत, श्री सुजान सिंह, अतिरिक्त जिलाधिकारी, पानीपत, श्री संजय देशवाल, जिला कल्याण अधिकारी, पानीपत एवं प्रार्थिनी श्रीमती रूबी, दिनांक 10.09.2018 को सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।

पुलिस अधीक्षक ने सूचित करा की आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है व एफ. आई.आर. न0 98 दिनांक 01.09.2018 में धारा 34,363,506 व 6 पॉस्को एक्ट/आई.पी.सी. व 3 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 लगा दी गई है। पीड़िता की बहन का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है। अतः चिकित्सा जांच के उपरान्त देय सहायता धन राशि दिनांक 12.09.2018 तक पीड़िता के खाता में स्थानान्तरण करने का आश्वासन अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।

पुलिस प्रकरण में संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 के अधीन निर्धारित समय सीमा दो माह में विवेचना पूर्ण करेगी।

कृत कार्यवाही की पूर्ण रिपोर्ट सहित दो माह पश्चात दिनांक 17-12-2018 अगली सुनवाई।

प्रो.(डॉ. राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग